# कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू
## (आपूर्ति शाखा)

## अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2017–18 के लिए पलामू जिला अन्तर्गत अवस्थित शहरी क्षेत्र के लिए 5 (पांच), नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 1 (एक) एवं प्रखंडवार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16 (सोलह) तथा एक रात्रि सेवा, कुल 23 (तेईस) दाल–भात केन्द्रों पर केन्द्र संचालकों को परिवहन–सह–हथालन सहित बाजार समिति द्वारा अधिकतम निर्धारित मूल्य चावल (उसना) 2320.00 रू/क्विंटल, चना 7230.00रू/क्विंटल एवं सोयाबड़ी 6610.00रू0/क्विंटल की दर से आपूर्ति करने के इच्छुक बाजार समिति से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है :–

1. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''तकनीकी बीड'' लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (अग्रधन राशि का ड्राफट/एन0एस0सी0 सहित) एवं बैंक गारंटी एवं उसे मुहरबन्द करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।

2. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में ''वितीय बीड'' अंकित करेंगे। उस लिफाफे में केवल दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर उसे मुहरबन्द करेगें। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं रहेगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।

3. ''तकनीकी बीड'' एवं ''वितीय बीड'' दोनों मुहरबन्द लिफाफे को एक साथ एक तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को मुहरबन्द करेंगे। लिफाफा पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त, पलामू के पदनाम से निविदा करेंगे।

4. अग्रधन की राशि 50,000.00 (पच्चास हजार) रू0 का बैंक ड्राफट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतेय होगा।

5. 2,50000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रू0 का बैंक गारन्टी प्रमाण–पत्र उपायुक्त, पलामू के नाम से होना आवश्यक है। बैंक गारन्टी निविदा तिथि से न्यूनतम एक वर्ष का होना आवश्यक है।

6. निविदादाता का आवासीय प्रमाण–पत्र अनुमंडल स्तर से बना हुआ होना चाहिए।

7. निविदादाता का उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 06 (छः) माह के अन्दर का होना चाहिए।

8. निविदादाता का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर का नमूना निविदा भरने के समय संलग्न होना आवश्यक है।

9. निविदादाता का आयकर रिटर्न की विगत तीन वर्षों (2014–15, 2015–16, 2016–17) की प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।

10. निविदा पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा–पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर नहीं होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. निविदादाता का व्यवसाय स्थल पलामू जिला अन्तर्गत होना चाहिए।

12. चावल, चना एवं सोयाबड़ी की आपूर्ति पलामू जिला अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों तक परिवहन–सह–हथालन सहित करना अनिवार्य होगा।

13. चावल, चना एवं सोयाबड़ी उच्च गुणवता की होनी चाहिए। गुणवता के संबंध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा एवं निम्न गुणवता वाले निविदादाता को वितीय बीड में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा। सभी सामग्रियों का नमूना सील्ड पारदर्शी फलास्क/बोतल में लाना होगा, जिसपर निविदादाता का नाम एवं पता चिपका होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता के रूप में चयनित होने के उपरान्त इससे भिन्न सामग्री की आपूर्ति केन्द्रों पर करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

14. प्रत्येक माह चावल, चना एवं सोयाबड़ी की आपूर्ति का सील्ड बन्द नमूना प्रत्येक केन्द्र पर सुरक्षित रखना होगा, जिससे की गुणवता की जांच की जायेगी।

15. कृषि उपज पर बाजार शुल्क भुगतान से संबंधित कागजात संलग्न करे।

निविदा पत्र जिला आपूर्ति कार्यालय, पलामू से 1000.00 (एक हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिला नजारत में जमा कर दिनांक 16·3·17 के 5 बजे अपराह्न प्राप्त किया जा सकता है। ड्राफ्ट उपायुक्त, पलामू के नाम से भुगतेय होना चाहिए। इस राशि को वापस नहीं किया जायेगा। निविदादाता को बगैर कारण बताये निविदा को रद्द करने/स्थगित करने/समय में परिवर्तन करने/दर वार्ता करने/एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा दो सील लिफाफों "तकनीकी बीड" एवं वित्तीय बीड" में अलग–अलग कर दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में अपना नाम एवं पूरा पता अंकित करते हुए दिनांक 17·3·17 को अपराहन 01.00 बजे तक जिला आपूर्ति शाखा, पलामू के कार्यालय में रखे बन्द डब्बे/बक्सा में डाला जा सकता है। उपायुक्त, पलामू की अध्यक्षता में निविदा समिति के समक्ष उसी दिन 03.00 बजे अपराहन में उपायुक्त, पलामू के कार्यालय वेश्म में खोला जायेगा। उस दौरान निविदादाता उपस्थित रह सकते है। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होती है, तो अगले दिन निविदा खोलने की तिथि निर्धारित होगी।

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पटट् एवं जिले के बेवसाईट palamu.nic.in पर उपलब्ध है।

06/03/17
उपायुक्त
पलामू।